भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †5760
सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति और रूपरेखा

†5760. श्री अनुराग शर्मा:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति और रूपरेखा को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग हितधारकों के समन्वय से कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ पर्यटन में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए चिह्नित किए गए प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या हैं;

(ग) पर्यटन संवर्धन, स्वास्थ्य देख-रेख प्रत्यायन प्रणालियों और वीजा सुविधा उपायों के बीच समन्वय के लिए स्थापित संस्थागत तंत्रों का ब्यौरा क्या है और अन्य देशों के रोगियों को जानकारी प्रदान करने के लिए बनाए गए डिजिटल मंच क्या हैं;

(घ) क्या देश में चिकित्सा पर्यटन से संबंधित बेहतर डेटा संग्रहण और प्रभाव आकलन के लिए कोई रूपरेखा विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ङ): चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से चिकित्सा और निरोगता पर्यटन सहित देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों का संवर्धन करता है।

चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन की राष्ट्रीय रणनीति तथा रोडमैप को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दिया गया था।

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन स्थित सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) ने http://www.indiahealthcaretourism.com नामक एक व्यापक वेबसाइट तैयार की है, जो मान्यता प्राप्त अस्पतालों और निरोगता केंद्रों, वीजा, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर इस पोर्टल का लिंक प्रदान किया है।

चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने ई-मेडिकल वीजा/ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा सुविधा की शुरुआत की है।

राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) स्वास्थ्य सेवा संगठनों, आयुष संगठनों और चिकित्सा वैल्यू यात्रा सुविधाप्रदाताओं के लिए मान्यता प्रदान करता है।

चिकित्सा प्रयोजनों के लिए देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों का विवरण गृह मंत्रालय के आप्रवासन ब्यूरो द्वारा रखा जाता है।

पर्यटन मंत्रालय के पास चिकित्सा पर्यटन से संबंधित प्रभाव का आकलन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****